न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी (सहायक कलेक्टर) सज्जनगढ़
जिला- बांसवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 49/2015

1 श्री गोवर्धन पिता केशुराम जाति कलाल निवासी सज्जनगढ़ तहसील सज्जनगढ़।
2 श्री मनसुखलाल पिता केशुराम जाति कलाल निवासी सज्जनगढ़ तहसील सज्जनगढ़।
3 श्री दिलीप पिता केशुराम जाति कलाल निवासी सज्जनगढ़ तहसील सज्जनगढ़।
4 श्री भगवान लाल पिता किशन लाल जाति कलाल निवासी सज्जनगढ़।
5 श्री जगदीश पिता किशनलाल जाति कलाल निवासी कुशलगढ़ तहसील कुशलगढ़।
6 श्रीमती चम्पी बेवा किशनलाल जाति कलाल निवासी कुशलगढ़ तहसील कुशलगढ़।
7 श्री खेमा पिता प्रेमचंद जाति कलाल निवासी सज्जनगढ़ तहसील सज्जनगढ़।
8 श्री धनेश्वरलाल पिता प्रेमचंद जाति कलाल निवासी सज्जनगढ़ तह० सज्जनगढ़।
9 श्री हीरा लाल पिता प्रेमचंद जाति कलाल निवासी सज्जनगढ़ तह० सज्जनगढ़।
10 श्री कन्हैया लाल पिता प्रेमचंद जाति कलाल निवासी सज्जनगढ़ तहसील सज्जनगढ़।
11 श्री शांति लाल पिता प्रेमचंद जाति कलाल निवासी सज्जनगढ़ तहसील सज्जनगढ़।
12 श्री देवी लाल पिता गणपतलाल जाति कलाल निवासी सज्जनगढ़ तहसील सज्जनगढ़।
13 श्री पन्ना लाल पिता गणपतलाल जाति कलाल निवासी सज्जनगढ़ तह० सज्जनगढ़।
14 श्री अजब लाल पिता धानजी जाति कलाल निवासी सज्जनगढ़ तह० सज्जनगढ़।
15 श्रीमती गट्टूदेवी पत्नी चिमन लाल जाति दर्जी निवासी सज्जनगढ़ तह० सज्जनगढ़।

प्रार्थी वादीगण

बनाम

01 श्री नरेश कुमार पिता बालुभाई जाति दर्जी निवासी सज्जनगढ़ तह० सज्जनगढ़।
02 श्रीमती सन्तोष पत्नी नरेशकुमार जाति दर्जी निवासी सज्जनगढ़ तह० सज्जनगढ़।
03 श्रीमती जशोदा पत्नी बालुभाई जाति दर्जी निवासी सज्जनगढ़ तह० सज्जनगढ़।
04 श्री भुमिधारी तहसीलदार सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा।
05 श्री जिला कलेक्टर महोदय, बांसवाड़ा (राज०) - अप्रार्थी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा० का० अ०

निर्णय दिनांक: 18-05-18

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि 'गांव सज्जनगढ़ हाल तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा में स्थित कृषि भूमि खेत आराजी नम्बर 4 रकबा 0.4300 हेक्टर लगानं 2.80 रुपया जो कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भुमि होकर उक्त खेतो में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार एवं स्वत्व आदि नही है। यह कि अभी दिनांक 15-06-15 से उक्त अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या एक से तीन एकमत होकर प्रार्थी वादीगण के उक्त खेत के दक्षिण दिशा तरफ 17 फीट × 70 फीट भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में अवैध रूप से अनुचित हस्तक्षेप करते हुवे मकान निर्माण कार्य करने हेतु पाये खोदने लगे जिस पर से प्रार्थी वादीगण ने उन्हें बहुत समझाय फिर भी वे नही मान रहे हैं जिस पर से उक्त खेत की निशानदेही भी दिनांक 24.06.2015 को करवाई गई फिर भी प्रतिवादी संख्या एक से तीन अधिक संख्या में रात दिन मजदूरों एवं कारिगर लगाकर मकान निर्माण कार्य कर रहे हैं जबकि ऐसा करने का उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। उक्त खेत की हम प्रार्थी वादीगण ही एकमात्र मालिक एवं कब्जेदार हैं।

जमाबन्दी में दर्ज सह-खातेदार श्री किशनलाल पिता प्रेमचंद कागल्ल की मृत्यु
हो चुकी है जिसके वारिसान प्रार्थी वादी सख्या चार से छः है तथा किशनलाल
कलाल के मरने के बाद उसके वारिसान प्रार्थी वादी सख्या चार से छः के
नाम से अभी वारिसाना नामान्तरकरण नही खोला गया है लेकिन अप्रार्थी
प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थी वादीगण के उक्त खेत के रकबे पर दक्षिण दिशा
तरफ 17 फिट x 70 फिट भूमि पर अवैध रुप से मकान निर्माण कार्य करने से
तत्काल ही नही रोका गया तो प्रार्थी वादीगण को मूल वाद पत्र पेश करने
का महत्व समाप्त हो जावेगा एवं प्रार्थी वादीगण को ऐसी अपुरणीय क्षति
होगी जिसका आंकलन किमत अथवा आंकड़ो में होना संभव नही होगा।
वादग्रस्त भूमि प्रार्थी वादीगण की एक मात्र खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि
भूमि है। जिससे सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपुरणीय
क्षति जैसी तीनो शर्ते प्रार्थी वादीगण के पक्ष में है यदि ता फैसला मूल
वाद अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी प्रतिवादीगण जारी करना न्यायहित
में नितांत आवश्यक है। अतः यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का
विरुद्ध अप्रार्थी प्रतिवादीगण के पेश है। अतः निवेदन है कि ता फैसला मूल
वाद अप्रार्थी / प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा पाबन्द
किया जावे कि वे प्रार्थी वादीगण के वादपत्र चरण सख्या 1 में वर्णित
खेतो के रकबे के दक्षिण दिशा तरफ 17 फिट x 70 फिट भूमि पर अवैध
रुप से मकान निर्माण कार्य नही करे तथा उक्त खेत एवं उसमे निहित
वादीगण के हितो पर किसी भी प्रकार से कोई कुठाराघात नही करे
ऐसा न तो वे स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। यदि प्रार्थना-पत्र
के विचारकाल के दौरान यदि वे किसी भी प्रकार से जबरन बलपूर्वक
उक्त मकान निर्माण कार्य कर लेवे तो उसे जरिये आदेशात्मक व्यादेश
द्वारा हटाये जाने का आदेश प्रदान करावे"।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी
किये गये। अप्रार्थीगण सख्या 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि "यह कि आवेदन चरण सख्या 1 अस्वीकार है।
वाद वादी किसी प्रकार से ठोस तथ्यो पर व मुद्दे पर आधारित नही
होकर प्रथम दृष्टया भूमि आबादी होने से बतौर कृषि भूमि के चलने
योग्य नही है। यह कि आवेदन चरण सख्या 1 जो दोबारा अंकित किया
है, अस्वीकार है। वादग्रस्त खेत पर प्रार्थी वादीगण का किसी प्रकार
से कोई हक अधिकार व कब्जा भौतिक तौर पर नही है। मौके पर
उक्त खेत पर वादीगण की किसी प्रकार की काश्त नहीं की जा रही
है। न ही मौके पर किसी प्रकार से फसल बोई हुई है। एवं उक्त आराजी
का स्वरूप आबादी का होकर घनी आबादी के बीचो बीच स्थित होकर
किसी प्रकार से काश्त के प्रयोजन के उपयोग में नही ली जा रही है।
मौके पर बहुत सारे मकान काफी समय पूर्व बने हुवे है। जिसमे स्वयं
वादीगण व प्रतिवादीगण के भी मकान स्थित है। मौके के फोटोग्राफ
व प्रतिवादीगण द्वारा मौके की भौतिक अवस्थिति की तैयार की गई विडियोग्राफी
की सी.डी. जवाब के संलग्न पेश है। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार भी

ब

भूमि आबादी दर्ज है। प्रतिवादी उक्त भूमि पर काबिज है व भूमि आबादी है। जिससे वाद राजस्व न्यायालय के किसी भी प्रकार से सुनवाई व श्रवणाधिकार में नहीं है। यह कि आवेदन चरण संख्या 2 अस्वीकार है। आवेदन के साथ कथन संदीग्ध व अस्पष्ट व बनावटी कथनो से तोड मरोड कर लिखकर पेश किये है। वाद चरण संख्या 1 में वर्णित सर्वे नम्बर 4 की भूमि जो कि बांसवाड़ा कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ ताम्बेसरा के मुख्यमार्ग पर लगती हुई स्थित है। वादीगण की वर्तमान सेटलमेंट आराजी नम्बर 4 की दक्षिण तरफ की भूमि गत सेटलमेंट के आराजी नम्बर 4/1, के खातेदार दुर्गाबाई वगैरह के खाते की थी जो दुर्गाबाई ने दलीचंद को जरिये पंजिकृत विलेख दिनांक 30.6.1976 को विक्रय कर दी एवं उनके विलेख में विक्रय भूमि का नजरी नक्शा भी बनाया जो विलेख की छायाप्रति संलग्न पेश है। एवं दलीचंद के द्वारा अपनी क्रय भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 तत्कालीन समय के भूमिधारी एवं जिला कलेक्टर कार्यालय से जरिये आबादी आदेश क्रमांक 2264 दिनांक 23.4.1983 को रकबा 0.10 बीघा भूमि रूपान्तरण कराने से उक्त भूमि आराजी नम्बर 4/4 के रूप में दलीचंद पुत्र कालुजी कलाल के नाम से आबादी दर्ज हुई है उसे वर्तमान सेटलमेंट के समय सर्वे नम्बर 3 के रूप में बताया गया है कि आबादी भूमि होकर दलीचंद की उक्त आबादी भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती जसोदा के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15-12-2007 को 11 गुना 70 कुल 770 वर्ग फीट भूमि क्रय की है जिस पर उसी वर्ष अर्थात वर्ष 2007 से विपक्षी प्रतिवादी जसोदा का मकान बना हुआ है उक्त भूमि के पूर्व में चीमनभाई कन्हैयालाल का मकान, पश्चिम में दलीचंद स्वयं की भूमि आबादी व उत्तर में अजबलाल वादी संख्या 14 की भूमि व दक्षिण में सज्जनगढ़ ताम्बेसरा रोड है। इसी प्रकार से दलीचंद से ही उनकी उक्त आबादी भूमि में से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 7.2.11 को विपक्षी संख्या 2 श्रीमती संतोष ने 17 गुना 70 फीट कुल 1190 वर्गफीट भूमि क्रय की है जिस पर उनका मकान बना हुआ होकर वे काबिज है। उक्त भूमि के पूर्व में श्रीमती जसोदा विपक्षी संख्या 1 का मकान, पश्चिम में दलीचंद का मकान, उत्तर में अजबलाल धनजी की भूमि व दक्षिण में सज्जनगढ़ ताम्बेसरा रोड है। प्रतिवादीगण के द्वारा जो मकान का निर्माण किया वह भूमि गत सेटलमेंट की आराजी नम्बर 4/4 की आबादी भूमि में है। जो वर्तमान के सेटलमेंट नम्बर 3 में दलीचंद के नाम की आबादी दर्ज की है। जो कि साबिक सेटलमेंट के मूल सर्वे नम्बर 4 का एक हिस्सा है। एवं गत सेटलमेंट की उक्त मूल आराजी नम्बर 4 को वर्तमान में हुये भू प्रबन्ध के समय क्रमशः सर्वे नम्बर 2,3, व 4 के रूप में अंकित किया है। वर्तमान सेटलमेंट के समय में प्रार्थी वादीगण ने उक्त प्रतिवादीगण के मालिकी व कब्जे की आबादी भूमि को भू-प्रबन्ध अधिकारियो से मिलकर कपट कर छलपूर्वक नक्शे में अपने नाम वर्तमान भू-प्रबन्ध के सर्वे नम्बर 4 के रूप में करा ली मगर उक्त भूमि आबादी की है। एवं विपक्षीगण द्वारा अपने मकानात

का निर्माण किया है। तथा मकान निर्माण दिनांक 15.6.2015 से पहले का होकर प्रतिवादी द्वारा उक्त क्रय आबादी भूमि में है जो वर्तमान भू-प्रबन्ध के समय दिये गये आराजी नम्बर 3 में दक्षिण तरफ सज्जनगढ़ तांबेसरा रोड पर स्थित है। प्रार्थीगण ने वर्तमान में भू-प्रबन्ध कर्मचारी से मिलकर रेकार्ड में नक्शे में व अभिलेख में हेरा फेरी करा कर सर्वे नम्बर 3 की आबादी भूमि की मौके की दक्षिण तरफ की घुमावदार आकृति को बदलवा कर सीधी दर्शाते अपने नाम से सर्वे नम्बर 4 में दर्ज कराकर बनावटी रेकार्ड के आधार पर मौका निशादेही भी बनावटी तौर पर कराकर उसका बनावटी पंचनामा मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत बनवा कर विपक्षी प्रतिवादी के सर्वे नम्बर 3 के निर्माण को बनावटी रूप से कथित आराजी नम्बर 4 में दर्शा कर नाजायज लाभ उठाने प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने व खर्चे में उतारने व निषेधाज्ञा के वाद की आड़ में प्रतिवादीगण को उनकी जायज तौर पर क्रय भूमि व मकान से बेदखल करने उन्हें मकान बना लेने के बाद ब्लेकमेल करने व उनका शोषण करने दावा व आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का बनावटी व असत्य कथनो पर पेश किया है। तथा मौके के फोटोग्राफ व विडियो सीडी संलग्न पेश करते हैं। प्रतिवादीगण विपक्षी मौके की भौतिक सत्यापन कराने को तैयार है। कथित तौर पर दिनांक 15-6-15 के रोज विपक्षीगण ने किसी प्रकार से न तो विवाद किया नहीं प्रार्थीगण को किसी प्रकार से धमकी दी। तारीख वाद को प्रार्थीगण किसी प्रकार से उक्त विवादीत भूमि दक्षिण तरफ में किसी प्रकार से काबिज नहीं होकर वाद मियाद बाहर है। काबिल खारिज है। एवं भूमि आबादी होने से व आबादी क्षेत्र में स्थित होकर किसी प्रकार से कृषि उपयोग में नहीं होने से राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं होने से भी काबिल खारिज है। वादग्रस्त सर्वे नम्बर 4 की भूमि के आबादी उपयोग के सबूत के तौर पर इसी आराजी नम्बर 4 में मौके पर एक अन्य मकान प्लाट रूप में 60 गुना 18 फीट का जरिये विक्रय विलेख दिनांक 31.7.2004 को श्रीमती गट्टूदेवी पत्नी चीमनलाल को स्वयं वादी संख्या 14 भजनलाल ने ही विक्रय किया है। जिसके दस्तावेज की छाया प्रति संलग्न है। प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 ने अपनी क्रय भूमि व अपने मालिकी व कब्जे की आबादी भूमि में ही मकान का निर्माण अपनी खरीद की गई भूमि में ही किया है। विपक्षी ने प्रार्थीगण कि किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है न ही करने को आमादा है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 के मकान का निर्माण छत लेवल तक पुरा हो जाने के बाद के कार्य प्लास्टर आदि के समय प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को ब्लेकमेल करने व उनका शोषण करने की गरज से व अवैध रुपया वसूली की नियत से तथ्यो के विपरीत निशादेही का मौका पंचनामा बनवा कर उसके आधार पर बनावटी वाद व आवेदन पेश किया है। अतः प्रथम दृष्टया ही वाद व आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया

d

जावे। वर्तमान भू प्रबन्ध द्वारा वक्त भू प्रबन्ध मौके के पूर्व से निर्मितशुदा मकानात को भी नक्शा ट्रेस में अंकित नही किया है। वर्तमान के नक्शा व अभिलेख दोनो ही गलत संधारण किया है। व उनके लिये भूमिधारी के तौर पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 दोनो ही उत्तरदायी है। वाद तारीख से भी 7 वर्षों से प्राधिक समय से प्रतिवादीगण व उनके पूर्व दलीचंद पुत्र कालूजी का निरंतर निर्बाध कब्जा वादग्रस्त आराजी पर आज दिनांक तक निरंतर व वादीगण के हक हितो के यदि कोई होते भी हो तो भी उनके प्रतिकूल चला आ रहा होकर वे मालिक बन चुके है। उक्त वाद व आवेदन में दलीचंद पुत्र कालू कलाल निवासी सज्जनगढ आवश्यक पक्षकार है। कथित तौर पर कोई व्यवहार कारण वादीगण के पक्ष में उत्पन्न ही नही हुआ है। एवं उनका किसी प्रकार से वादग्रस्त भूमि पर कोई भौतिक आधिपत्य नही रहा है। जिससे बनावटी व्यवहार कारण बनाकर आवेदन झूठा पेश किया है। जो काबिल खारिज है। प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार करने योग्य नही है। सुविधा संतुलन भी उनके पक्ष में नही है। एवं विपक्षीगण के छत डालने के बाद के निर्माण कार्य को किसी प्रकार से वादीगण प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रूकवा कर उन्हे भारी हानि पहुंचाने विपक्षी के बना बनाया मकान हड़पने को आमादा है। जिसमे प्रतिवादीगण विपक्षीगण को भारी हानी हो रही है। अतः निवेदन है कि आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किया जावे व अंतरिम निषेधाज्ञा भी निरस्त की जावे।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नक्शा ट्रेस, ग्राम सज्जनगढ की चोसाला जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 खाता नम्बर 15 खसरा नम्बर 4 की प्रति, दिनांक 24.06.2015 का मौका पर्चा, ग्राम सज्जनगढ के खाता नम्बर 15 खसरा नम्बर 4 संवत 2071 की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की गयी।

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव की पुष्टि में विक्रय विलेख दिनांक 15-12-2007, विक्रय विलेख दिनांक 7.7.2011, विक्रय विलेख दिनांक 30.6.1976, विक्रय विलेख दिनांक 3.5.1965, जमाबन्दी संवत 2036 से 2039, भूमि रूपान्तरण आदेश 32.4.1983, नामान्तरण संख्या 34 दिनांक 5.7.1976, जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 दिनांक 7.7.2015, नामान्तरण संख्या 13 दिनांक 15.6.1971, जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 दिनांक 7.7.2015, जमाबन्दी संवत 2069-2072 दिनांक 6.7.2015, पास बुक व नक्शा दिनांक 30.5.1976, मौका फोटो, वीडियो सीडी, ट्रेस नक्शा चालू (फोटोप्रति) एवं विक्रय विलेख वादी ब्रजबलाल द्वारा गट्टूदेवी के पक्ष मे दिनांक 31.7.2014 प्रस्तुत किये गये। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड का परीक्षण

किया गया। खाता नम्बर 15 खसरा नम्बर 4 ग्राम सज्जनगढ़ के सम्बन्ध में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2015 एवं खसरा नम्बर 4 के साबिक खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण। वादीगण के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अत: वाद-पत्र के निर्णय तक दोनों पक्षकारान मौके की यथा-स्थिति कायम रखे एवं प्रतिवादीगण एवं वादीगण एक दूसरे के हितो का सम्मान करे। प्रस्तुत रिकार्ड एवं मौका स्थिति के मद्देनजर तनकीयात विस्तृत निर्णय वाद पत्र में आधारभूत होगा। निर्णय खुले-इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल वादपत्रावली के साथ शामिल हो।

(नवल किशोर गुप्ता)
आर.ए.एस.
उप-खण्ड अधिकारी (सहायक कलेक्टर)
सज्जनगढ़